गिरफ्तार किसानों की रिहाई को लेकर एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन

रिहाई आदेश दिखाने के पश्चात धरना समाप्त

नागदा जं.। उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे की भूमि अधिग्रहण को लेकर गिरफ्तार किए गए किसानों को रिहा करने की मांग को लेकर जिला पंचायत सदस्य राधा भीमराज मालवीय व अन्य प्रभावित किसानों ने आज नागदा एसडीएम कार्यालय के बाहर 4 घन्टे लगातार धरना प्रदर्शन करके रिहाई की मांग करते रहे। किसानों की रिहाई के ऑर्डर के पश्चात धरना समाप्त किया गया।

राधा मालवीय ने बताया कि उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण हेतु क्षेत्र के किसानों की भूमि अधिग्रहण की गई है जिसमें गाइडलाइन के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है जो कि नाममात्र का है अधिग्रहित भूमि का मुआवजा 4 गुना देने व ग्रीनफील्ड हाईवे के स्थान पर साधारण फोरलेन हाईवे बनाने की मांग को लेकर आज उज्जैन में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जाना था उसके पूर्व ही

प्रभावित किसानों को घरों से गिरफ्तार कर 3 दिन पहले से गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया है उनकी जमानत तक नही ली। मालवीय ने बताया कि पूर्व विधायक दिलीपसिंह गुर्जर के निर्देश पर गिरफ्तार किसानों की जमानत नियम विरूद्ध नही दी जा रही थी उसको दृष्टिगत रखते हुए 4 घन्टे से ज्यादा समय तक मेरे व प्रभावित किसानों द्वारा एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। एसडीएम बृजेश सक्सैना द्वारा किसानों के रिहाई के ऑर्डर के बाद धरना प्रदर्शन को समाप्त किया गया। धरना प्रदर्शन में जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि भीमराज मालवीय, बापूसिंह गुर्जर, कमलेश धाकड, दिपक पाटीदार, देवीलाल पाटीदार, बलराम धाकड, नरसिंह धाकड, कन्हैयालाल धाकड, पवन धाकड, शम्भु धाकड, दिलीपसिंह जाधव, रमेश चन्द्रवंशी, प्रितेश पटेल, चंदु पटेल, राहुल पाटीदार, गोरधंन पाटीदार, आदेश पाटीदार, लखन पाटीदार, रामचन्दर पाटीदार, रतन गुजराती, सीताराम परमार आदि उपस्थित थे।

रमजान के मुबारक मौके पर इज्तेमाई इफ्तार पार्टी आयोजित

सिविल अस्पताल में फलों का किया वितरण

कुक्षी (ईफराज कुरैशी)। रमजान मुबारक महीने के तीसरे अस्रे के 25 वें रोजे पर एहले इस्लाम सुन्नतवल जमात मरकज मस्जिद कुक्षी के गंजी पुरे में बुधवार को इज्तेमाई रुप से रोजा इफ्तार पार्टी का शानदार आयोजन हुआ। यहां मुस्लिम समाज के सैंकड़ों लोगों ने सामूहिक रूप से एक साथ बैठकर रोजा इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया। इस रोजा इफ्तार पार्टी में मुस्लिम समाज के बड़े-बुजुर्ग, नौजवान व बच्चों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। मगरिब की अजान सुनकर सभी रोजेदारों ने एक साथ रोजा इफ्तार किया। रोजा इफ्तार पार्टी के आयोजकों ने बताया कि रमजान-उल-मुबारक का यह पाक महीना, रहमतों व बरकतों से भरपूर है। जो शख्स रोजेदार को इफ्तार कराता है, अल्लाह उस शख्स को रोजेदार के बराबर सवाब अता फरमाता है। इस प्रकार की रोज़ा इफ्तार पार्टी के आयोजन से आपसी भाईचारा भी बढ़ता है। उन्होंने यह भी बताया कि रमजान-उल-मुबारक को तीन अशरे में बांटा गया है। पवित्र माह रमजान का पहला अशरा बरकतों का,दूसरा अशरा मगफिरत का व तीसरा अशरा मगफिरत व जहन्नुम से आजादी का होता है। रमज़ान के तीसरे अशरे के 25 वें रोज़े पर आयोजित की गई इस शानदार अफ्तार पार्टी ने रमजान की रौनक में चार चांद लगा दिए हैं। इस अवसर पर आयोजकों द्वारा सिविल अस्पताल कुक्षी में फलों का वितरण भी किया गया। रोजा इफ्तार के वक्त सभी रोजेदारों ने सामूहिक रूप से मुल्क में अमन और शांति की अपने रब से दुआएं मांगी। आज की इफ्तार पार्टी को कामयाब बनाने के लिए मुस्लिम समाज वरिष्ठ तहसील सदर सरफराज गब्बर भाई , बहुपुरा जमात सदर शाहजहा खान , बहारपुरा जमात सदर बदर भाई, फिरोज भाई पार्षद, युसूफ भाई अगवान, वसीम भाई कुरैशी, हाजी नुरु भाई मुर्गी वाले व तमाम बुजुर्ग व नोजवान भाईयों व सभी खिदमतगारों का हौंसला आफजाई के लिए इफ्तार कमेटी कुक्षी ने दिल से शुक्रिया अदा किया है।

सारे आलम में अमन रहे : अजमत हुसैन

बाकानेर। रमजान पर्व 2025 का माह पूरा होने को है बच्चे बड़े सब रमजान के रोजे मार्च की गर्मी में भी 14 घंटे से

अधिक समय का रख रहे है। आदर्श पब्लिक स्कूल बाकानेर प्राचार्य तसव्वुर हुसैन दड़वाल, संचालक रुखसार हुसैन दड़वाल के बेटे अजमत हुसैन दड़वाल (7 साल) ने पहला रोजा रखकर सारे आलम दुनिया में भाईचारा एकता कायम रहे दुआं मांगी और पूरी दुनिया मासूम बच्चे काबिल बने और उनकी जिंदगी महफूज रहे आमीन दुआएं मांगी।

एडीजी व उज्जैन रेंज के आईजी उमेश जोगा तथा डीआईजी नवनीत भसीन पहुंचे शाजापुर

एसपी ऑफिस में ली अधिकारियों की बैठक

शाजापुर, निप्र। जिला मुख्यालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एडीजी व उज्जैन रेंज के आईजी उमेश जोगा व डीआईजी नवनीत भसीन पहुँचे। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल राजपुत ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया।

इस दौरान एडीजी उमेश जोगा ने जिले के पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर चिन्हित अपराधो, महिला अपराध के साथ आगामी त्यौहारों के मद्देनजर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने तथा पीएचक्यू द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने के जारी की गई पुलिस माइक्रो बीट प्रणाली को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। एडीजी उमेश जोगा ने जिले में आवश्यक पुलिस बंदोबस्त, गश्त व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने तथा त्योहारों के दौरान शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए आमजन से संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए। एडीजी उमेश जोगा ने बताया कि सिंहस्थ 2028 को लेकर उज्जैन, देवास, आगर में पुलिस के लिए अतिरिक्त क्वार्टर बनायें जायेंगे जिनके लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। बैठक में डीआईजी नवनीत भसीन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल राजपुत, एएसपी टीएस बघेल सहित पुलिस अधिकारी मौजूद थे।

कपास उत्पादक किसान-व्यापारियों के लिए अच्छा रहेगा अगला वर्ष- दास

सैलाना। क्षेत्र के कपास व्यापारियों का मिलन समारोह नगर के चण्डालिया फार्म हाउस पर सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के शुभारम्भ पर स्थानीय रचनाकार निरंजन कसेरा द्वारा राष्ट्रीय व हास्य रस की कवा रचनाएं प्रस्तुत की गई जिसे सराहा गया । मुख्य अतिथि मनजीत कॉटन के गुरनामदास

,विशेष अतिथि वर्धमान ग्रुप के मोहनलाल ओर वेल्स पेल मिल के कर्नल सिंह मंचासीन थे जिनका स्वागत कार्यक्रम के आयोजक अशोक चंडालिया , ओंकार लाल कसेरा , कृष्णा कसेरा द्वारा किया गया। बतौर मुख्य अतिथि अपने सम्बोधन मे गुरनाम दास ने कहा की विगत 21 वर्षों से इस क्षेत्र में मनजीत कॉटन व्यापार कर रहा है जो सभी के सहयोग के चुते ही इतने लंबे समय तक काम करना संभव हुआ है चालू साल कपास का व्यापार करने वालों के लिए मुश्किल भरा था पर हम आशान्वित हैकि आने वाला साल सभी के लिए अच्छा रहेगा। । कार्यक्रम के दौरान रचनाकार प्रशांत दवे की कपास के ऊपर लिखी कविता की प्रस्तुति पर खूब तालिया बजी।इस अवसर पर बड़ी संख्या मे क्षेत्र के कपास व्यापारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन इंदेश चंडालिया ने किया आभार दीपक कसेरा ने माना।

लाखों आदिवासियों-वनवासियों पर बेदखली के आदेश का खतरा

बाकानेर। आगामी 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में वन अधिकार कानून पर महत्वपूर्ण केस की सुनवाई होगी। ज्ञात हो कि 2019 में जब इस मामले की सुनवाई हुई थी,तब सवा लाख से भी अधिक परिवारों को संभावित बेदखली का सामना करना पड़ा था। हालांकि तब कोर्ट ने अपने इस आदेश को रोक दिया था और परिवारों पर मंडरा रहे बेदखली के संकट को टाला जा सका था।

लेकिन ऐसा क्यों हुआ? एक वन्यजीव एनजीओ चाहता है कि सर्वोच्च अदालत उन लोगों को बेदखल करने का आदेश दे, जिनके वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व्यक्तिगत वन अधिकारों के दावे खारिज कर दिए गए थे। भले ही इस बात के पर्याप्त सबूत हों कि उनके दावों को अवैध और गलत रूप से खारिज किया गया है। 2 अप्रैल को वे फिर से ऐसा करने की कोशिश करेंगे और अब ज्यादा जोर लगाएंगे। वे अब चाहते हैं कि अदालत वनवासियों के लिए वन अधिकार अधिनियम से पहले की स्थिति को वापस स्थापित कर दे , जहां वन आश्रित समुदाय को अधिकार धारक नहीं बल्कि वन विभाग की दया पर रहना और जीवनयापन करना चाहिए।

फरवरी 2019 में, देशव्यापी विरोध के बाद अपने आदेश को रोककर, अदालत ने राज्य सरकारों को खारिज हुए दावों कि समीक्षा करने का निर्देश दिया था। लेकिन यह समीक्षा प्रक्रिया फिर से उन्हीं लापरवाही से ग्रस्त हो गई, न तो केंद्र सरकार और न ही अधिकांश राज्य सरकारों ने इस कानून को लागू करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 आने से पहले भारत के वन कानून अंग्रेजों से विरासत में मिले थे। उन कानूनों के परिणामस्वरूप देश के लगभग एक चौथाई हिस्से कि भूमि को ÷वन भूमि÷ माना गया और सरकारी संपत्ति घोषित किया गया, बिना उन करोड़ों लोगों के अधिकारों पर विचार किए जो इन भूमियों पर रहते थे, उनका उपयोग करते थे और उनकी रक्षा करते थे। वन अधिकार अधिनियम अनुसूचित जनजातियों और ÷अन्य परम्परागत वन निवासियों÷ के लिए तेरह अधिकारों को कानूनी मान्यता देता है, जिसमें भूमि, लघु वन उपज, चरागाह आदि पर अधिकार शामिल हैं, साथ ही जंगलों की रक्षा और प्रबंधन के महत्वपूर्ण अधिकार भी शामिल हैं जैसा कि वे सदियों से करते आ रहे हैं।

लेकिन यह कानून भारत की वन प्रशासन को पसंद नहीं आया क्योंकि यह वन आश्रित लोगों को बेदखल करने और परेशान करने के साथ-साथ वन भूमि को बड़ी परियोजनाओं या कंपनियों को सौंपने की उनकी शक्ति को भी छीन लेता है। नतीजतन, एक के बाद एक राज्य और केंद्र स्तर पर इसके क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न की गई है। मुट्ठी भर वन्यजीव एनजीओ इस कानून के विरोध का चेहरा बन गए हैं। उन्होंने 2008-2009 में इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और कई उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वे इस कानून पर रोक लगाने के लिए अदालत से अनुरोध करने में असफल रहे। हालांकि, समय-समय पर उन्होंने इस मामले को वाइल्डलाइफ फर्स्ट द्वारा कानून को कमजोर करने के प्रयास करते रहे। 13 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने 17 लाख या 17 लाख से अधिक वनवासियों को बेदखल करने का आदेश दिया, जिनके व्यक्तिगत वन अधिकार दावों को खारिज कर दिया गया था। इस आदेश ने पूरे देश में हड़कम मचा दिया। वन अधिकार समूहों के विरोध के बाद, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने दावों को गलत तरीके से खारिज करने के लिए प्रक्रियात्मक खामियों को उजागर करते हुए कोर्ट में हस्तक्षेप किया, जिसके कारणवश अदालत को अगली सूचना तक बेदखली के आदेश पर रोक लगानी पड़ी और राज्यों को खारिज किए गए दावों की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को दावों को खारिज करने के कारणों और आदेशों में अपनाई गई प्रक्रिया का विवरण रिकॉर्ड पर रखते हुए विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। समीक्षा के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से कोई स्पष्ट निर्देश या दिशानिर्देश नहीं दिए जाने के कारण, राज्यों ने अपने स्वयं के तंत्र और प्रक्रियाओं का पालन किया, जिससे अधिकारों के निर्धारण के लिए कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ और कुछ राज्यों ने तो ऐसी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया, जो कानूनी प्रक्रिया, विशेषकर ग्राम सभाओं के निर्णय लेने के अधिकार को कमजोर करती है। दावेदारों या ग्राम सभाओं को उचित कारण बताए बिना या दावेदारों को अपील करने या अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना वन अधिकार दावों को खारिज कर दिया वन अधिकार नियमों के नियम 13 में साक्ष्य के कई रूपों को मान्यता दी गई है, जिसमें गांव के बुजुर्गों की गवाही और ग्राम सभा द्वारा क्षेत्र सत्यापन रिपोर्ट शामिल है।लेकिन इन्हें व्यवस्थित रूप से नजरअंदाज किया गया है। राज्य विशिष्ट साक्ष्य मांगना जारी रखता है। गुजरात में, उप्राह इमेजरी, जो जंगल पर कब्जे का निर्धारण नहीं कर सकती है, को अनिवार्य साक्ष्य माना गया, जिसके कारण बड़े पैमाने पर दावों को खारिज किया गया। इसके अलावा, अन्य पारंपरिक वननिवासियों के दावों में कुल मिलाकर खारिज किये जाने के दर में वृध्दि देखी गई है। 31.01.2025 तक, जनजातीय कार्य मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार, 18,06,890 (अठारह लाख छह हजार आठ नब्बे) दावे खारिज किए जा चुके हैं। वन अधिकार अधिनियम में वनवासियों को बेदखली से स्पष्ट रूप से सुरक्षा प्रदान किए जाने के बावजूद, बड़े पैमाने पर विस्थापन बेरोकटोक जारी है। कई राज्यों में, 2005 से पहले वन भूमि पर खेती करने वाले वनवासियों को उनके दावों पर कार्रवाई किए जाने से पहले ही वन विभाग द्वारा जबरन बेदखल कर दिया गया था। इन लोगों को अब अपने अधिकारों का दावा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, गलत तरीके से खारिज किए गए दावों के कारण खुद ही बेदखली हो गई है जो गैर कानूनी है। मध्य प्रदेश के रीवा और बुरहानपुर जिलों में ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां वन विभाग ने बल प्रयोग किया है, खड़ी फसलों को नष्ट किया है और जुर्माना लगाया है। बेदखली के साथ साथ वन आश्रित समुदायों के अधिकारों का अपराधीकरण, उनपर जबरन केस लगाना, उन पर लगातार निगरानी रखना , उनकी अपनी उपभोग कि जमीन तक पहुंच पर रोकटोक और उसे सीमित करना उनके खेती के जमीन पर विभाग द्वारा जबरन बाड लगाना इत्यादि ऐसे कई मामले कई क्षेत्रों में सामने आये हैं।

मध्य प्रदेश में वनमित्र जैसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की शुरूआत ने समीक्षा प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के बजाय अतिरिक्त बाधाएं पैदा की हैं। कई वनवासियों के पास स्मार्ट फ़ोन, इंटरनेट या डिजिटल साक्षरता तक पहुंच नहीं है, जिससे उनके लिए दावा प्रस्तुत करने और ऑनलाइन अपील प्रक्रियाओं को करना असंभव हो जाता है। इन पोर्टलों का उद्देश्य पारदर्शिता लाना और उसे कारगर बनाना था, लेकिन इसके बजाय प्रक्रियागत उल्लंघन, बड़े पैमाने पर फिर से दावों का खारिज होना और ग्राम सभाओं को दरकिनार करना पड़ा है। ये प्लेटफ़ॉर्म अक्सर खराब हो जाते हैं, ठप्प पड़ जाते हैं, दावेदारों के खातों को लॉक कर देते हैं और सही दस्तावेज़ अपलोड करने में विफल रहते हैं। डिजिटल सबमिशन पर विशेष निर्भरता ने सबसे हाशिए के समुदायों के लिए अपने कानूनी अधिकारों तक पहुंचना लगभग असंभव बना दिया है। इसके अलावा, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को बढ़ावा मिलने से नौकरशाही कि ताकत को आगे बढ़ाया है, जिसके कारणवश अब वन अधिकारों के सम्बन्ध में जिला और और राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा निर्णय लिए जा रहे हैं, जो दावों की पुष्टि के लिए ग्राम सभा और वन अधिकार समिति को अवैध रूप से दरकिनार कर रहे हैं। इससे कुछ अधिकारियों के हाथों में सत्ता का केंद्रीकरण हो गया है, जो सीधे तौर पर वन अधिकार कानून के विकेंद्रीकृत, लोकतांत्रिक और भागीदारी भरे दृष्टिकोण और कानूनी प्रणाली को कमजोर कर रहा है। कई राज्य सरकारें अब नए प्रधानमंत्री-जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (पीएम-जुगा) कार्यक्रम के तहत जनजातीय मंत्रालय द्वारा प्रचारित ऐसी तकनीक और ऐप-आधारित पोर्टल को लागू करने की योजना बना रही हैं। इससे और अधिक राज्यों में वन अधिकार कानून के कार्यान्वयन में बाधा आएगी। जनजातीय मंत्रालय ने वन मित्र आवेदन के बारे में भी गंभीर चिंताएं जताई है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वे 2 अप्रैल को न्यायालय को इन बिंदुओं से अवगत कराने जा रहे हैं या नहीं।

बीते कुछ वर्षों में वन और पर्यावरण कानूनों को कमजोर करने, विकास के नाम पर जंगलों और संसाधनों को कॉर्पोरेट के लिए डायवर्सन करने, साथ ही बहिष्कृत संरक्षण हस्तक्षेपों को बढ़ावा देने में वृद्धि हुई है। ये सभी राज्य-कॉर्पोरेट संचालित विकास हस्तक्षेप , पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम1996 , वन अधिकार कानून 2006 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 का उल्लंघन करते हुए किया जा रहा है, जिसके चलते अधिकारों की गैर-मान्यता और विस्थापन में वृद्धि हुई है। वन अधिकार कानून बेदखली और विस्थापन के खिलाफ स्पष्ट सुरक्षा प्रदान करता है और किसी भी स्थानांतरण और पुनर्वास के लिए पूर्व-आवश्यकताओं के रूप में अधिकारों की मान्यता और अधिग्रहण के साथ-साथ ग्राम सभा की स्वतंत्र सूचित सहमति को स्थापित करता है। संरक्षित क्षेत्रों के निर्माण के कारण 1,00,000 से अधिक लोग पहले ही विस्थापित हो चुके हैं और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने हाल ही में टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्रों से 64,801 परिवारों यानी तक़रीबन 4 लाख लोगों के विस्थापन में तेजी लाने का आह्वान किया है। इसके साथ ही औद्योगिक और ढांचागत परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर भूमि का हस्तांतरण और वन दोहन बेरोकटोक जारी है। पिछले 15 वर्षों में, 3 लाख हेक्टेयर से अधिक वन भूमि को ÷विकास÷ उद्देश्यों के लिए डायवर्ट किया गया जिसमें 60 हजार हेक्टेयर भूमि का आवंटन केवल माइनिंग के लिए रहा। वन भूमि के इस तरह के हस्तांतरण और परिवर्तन को अक्सर वन अधिकारों की मान्यता और ग्राम सभा की सहमति के बिना ही अंजाम दिया जाता है, जो सीधे तौर पर वन अधिकार कानून प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जिसे उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन बनाम पर्यावरण और वन मंत्रालय और अन्य [(2013) 6 एससीसी 476] में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। कोर्ट ने कहा कि ÷अगर जंगलों में और उसके आसपास रहने वाले लोग संरक्षण और पुनर्जंत्र उपायों में शामिल हों तो जंगलों के बचने की सबसे बेहतर संभावना है÷।

– विजय भाई (9575179588)
भारत जन आंदोलन
राज कुमार सिन्हा (9424385139)
बरगी बांध विस्थापित एवं प्रभावित संघ

मुख्य बिंदु

- केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट रूप से सूचित करना चाहिए कि वन अधिकार अधिनियम पूरी तरह से संवैधानिक है और खारिज दावों की समीक्षा की प्रक्रिया के साथ-साथ अधिकारों की मान्यता को भी अपने उचित क्रियान्वयन के लिए अपना समय और प्रयास देना चाहिए। कोर्ट में इस मामले को खारिज कर दिया जाना चाहिए।
- जनजातीय मामलों के मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खारिज किए गए दावों की समीक्षा स्पष्ट दिशा-निर्देशों का पालन करती है जो प्राथमिक निर्णय लेने वाले निकाय के रूप में ग्राम सभा के अधिकार और भूमिका को बनाए रखते हैं और वन अधिकार कानून के तहत सत्यापन प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार हैं। मंत्रालय को मनमाने ढंग से दावे खारिज किए जाने को रोकने, तर्कपूर्ण आदेशों की आवश्यकता और मौखिक गवाही और स्थानीय सत्यापन सहित कई तरह के साक्ष्य के उपयोग को अनिवार्य करने के लिए बाध्यकारी निर्देश जारी करने चाहिए।
- प्रौद्योगिकी का उपयोग केवल वन अधिकार कानून कार्यान्वयन प्रक्रिया को पूरक और समर्थन देने के लिए किया जाना चाहिए - जैसे कि दस्तावेजों का रिकार्ड बनाए रखना, दावेदारों को दावे की स्थिति को ट्रैक करने की सहूलियत देना और रिकॉर्ड तक सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करना।
- टाइगर रिजर्व और अन्य संरक्षित क्षेत्रों से तब तक कोई बेदखली और पुनर्वास नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि सभी दावों - जिनमें समीक्षाधीन खारिज दावे भी शामिल हैं - को वन अधिकार कानून के अनुपालन में सत्यापित नहीं किया जाता है। मंत्रालय सख्त निर्देश जारी करे कि जब तक कि दावेदार अपील के सभी रास्ते खत्म नहीं कर लेते तब तक जबरन बेदखली प्रतिबंधित है । इसके अतिरिक्त, इस निर्देश का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को वन अधिकार कानून और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
- टाइगर रिजर्व और अन्य संरक्षित क्षेत्रों से तब तक कोई विस्थापन और पुनर्वास नहीं होना चाहिए जब तक कि सभी दावों - जिनमें समीक्षाधीन दावे भी शामिल हैं - को वन अधिकार कानून के अनुपालन में संधारण/सत्यापित नहीं किया गया हो; साथ ही स्थानांतरण और पुनर्वास पैकेज के लिए उनकी सहमति - जिससे उचित मुआवज़ा और सुरक्षित आजीविका सुनिश्चित हो सके।
- दावा आरंभ करने, सत्यापन और निर्णय लेने में ग्राम सभा के वैधानिक अधिकार और भूमिका की पुष्टि की जानी चाहिए, ताकि प्रशासनिक और तकनीकी व्यवस्था द्वारा ग्राम सभा कि शक्तियों पर अतिक्रमण को रोका जा सके। किसी भी दावे की खारिज करने पर उसको लिखित कारण के साथ अपील का उचित अवसर देते हुए सम्बंधित आवेदक व् ग्राम सभा को सूचित किया जाना अनिवार्य है।
- सुनिश्चित किया जाए कि, खनन, बुनियादी ढांचे और संरक्षण के लिए वन भूमि के डायवर्सन को वन अधिकार कानून प्रावधानों, विशेष रूप से स्वतंत्र और पूर्व सूचित ग्राम सभा की सहमति की आवश्यकता का सख्ती से पालन करना अनिवार्य हो।
- इज्जत से जीने के अधिकार अभियान के साथ देश और प्रदेश के आदिवासी अधिकारों के लिए 108 संगठनों प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है।